



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 619 का नवीकरण/ Renewal of Type Approval No. 619
विषय/Sub: "टाइटेनियम स्टेबिलाइस्ड ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील एमडीएन 321 ए-एनील्ड वायर्स"/
"Titanium Stabilised Austenitic Stainless Steel MDN 321A – Annealed Wires"

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद - 500 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " टाइटेनियम स्टेबिलाइस्ड ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील एमडीएन 321 ए-एनील्ड वायर्स " को पत्र सं. एरो/आरडी-127/117/6/3 दिनांक 19 अगस्त 1991 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 619 जारी किया था तदुपरांत पत्र संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-619/3आर द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2008 को नवीकरण किया था जो कि 31 दिसंबर 2012 तक वैध था।

This is to state that the "Titanium Stabilised Austenitic Stainless Steel MDN 321A-Annealed Wires", developed & manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad- 500 058, has been issued with Type Approval No. 619 vide letter No. Aero/RD-127/117/6/3 dated: 19th Aug 1991 and subsequently renewed on 27th Feb 2008 Vide letter Ref No. CEMILAC/5070/TA-619/3R, and was valid up to 31st Dec 2012.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितंबर 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2018 तक वैध है बशर्ते कि इशे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(पदार्थ), डी आर डी ओ, हैदराबाद - 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Sept 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), DRDO, Hyderabad - 500 058, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections if any and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 619-4R

दिनांक/Date : 26 Sept 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

23/9/13

12

(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)

महा निदेशक (एरो)/ Director General (Aero)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)